प्रेस विज्ञप्ति
14/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर उप आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य द्वारा किए गए बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच में नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में 14 कार्यालयी और आवासीय परिसरों में 12.08.2024 से 14.08.2024 तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं और 209.08 करोड़ रुपये मूल्य के सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित अपराध की आय को भी फ्रीज कर दिया है। ईडी ने तलाशी कार्यवाही के दौरान 55.85 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जयसवाल, अभिजीत जयसवाल, अभिषेक जयसवाल और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। शिकायतकर्ता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने ऋण प्राप्त करने के लिए हेरफेर की गई परियोजना लागत विवरण प्रस्तुत किए थे और बैंक के फंड को भी डायवर्ट किया था, जिससे 4,037 करोड़ रुपये (ब्याज सहित 11,379 करोड़ रुपये) का गलत नुकसान हुआ।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपी कंपनी के प्रमोटरों ने आपस में मिलीभगत की और फर्जी लेनदेन में लिप्त रहे और कंपनी और उसकी संबंधित संस्थाओं के बही-खातों में हेराफेरी की। निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

- मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड के अलावा, अभिजीत समूह की अन्य संस्थाओं ने भी इसी तरह बैंक ऋण धोखाधड़ी की थी, जैसे कि मेसर्स कॉरपोरेट इस्पात अलॉयज लिमिटेड ने 136.09 करोड़ रुपये, मेसर्स अभिजीत इंटीग्रेटेड स्टील लिमिटेड ने 180 करोड़ रुपये आदि।

- तलाशी कार्यवाही से पता चला कि अभिजीत समूह ने 250 से अधिक फर्जी संस्थाओं का एक जटिल जाल बनाया था, जिसका इस्तेमाल आरोपी प्रमोटरों द्वारा अपराध की आय (पीओसी) को अलग-अलग करने, एकीकृत करने और उपयोग करने के उद्देश्य से किया जा रहा था। इन्हीं संस्थाओं का इस्तेमाल खातों की पुस्तकों में फर्जी शेयर प्रीमियम पेश करने और अभिजीत समूह की संस्थाओं की पुस्तकों को बढ़ाने के लिए भी किया गया था, ताकि वे वित्तीय हेरफेर और डॉक्टरिंग के माध्यम से बैंकों से नए ऋण प्राप्त कर सकें।

- तलाशी कार्यवाही के दौरान 20 धर्मार्थ संस्थानों के एक नेटवर्क की भी पहचान की गई, जिनका इस्तेमाल पीओसी को लूटने के उद्देश्य से किया गया।

- अभिजीत समूह द्वारा डमी निदेशकों को नियुक्त किया गया था, जो आमतौर पर समूह के कर्मचारी होते हैं और निष्क्रिय कंपनियों का उपयोग होल्डिंग कंपनियों के लिए किया जाता था।

• सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों, ऋण और अग्रिम, म्यूचुअल फंड, एफडी और अचल संपत्तियों जैसी चल संपत्तियों के रूप में पीओसी से संपत्तियां एकत्रित की गईं।

• तलाशी कार्यवाही के दौरान अभिजीत समूह से संबंधित कई संपत्तियों का विवरण एकत्र किया गया है, जिनकी कीमत अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक है, जो पीओसी से प्राप्त की गई है।

• एफआईआर में उल्लिखित अभियुक्तों के अलावा, कई प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ मिलीभगत करके काम किया और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सहायता की, उनकी पहचान की गई है और उनके बयान पीएमएलए की धारा 17 के तहत दर्ज किए गए हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।